123/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 123/2016 अनवानी श्री कृष्णलाल कुमावत निवासी 85 पटेल नगर ; वार्ड न0 11, नजदीक महिला पार्क, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

11.02.2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री कृष्णलाल कुमावत उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री कृष्णलाल कुमावत ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक – के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1– (बी.पी.एल) कार्ड धारी सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अलग(बी.पी.एल.)कार्ड क्यो नही जारी किया जाता है अगर (बी.पी.एल.) अलग कार्ड जारी करने का प्रावधान है तो किस दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराए।
2– उपरोक्त कार्डधारियों का गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) का कार्ड किस आधार पर बनाया गया? इस सम्बंध में कार्डधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराए।
3– उपरोक्त गांव में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के परिवारो का सर्वेक्षण पिछली बार कब हुआ था ? उप सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं साथ ही सर्वेक्षण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम व पद बताए ?
4– गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) के परिवारों के सर्वेक्षण के समय परिवारों के चयन के लिए क्या मापदण्ड/मानक बनाए गए है ? इस सम्बन्ध में समस्त शासनादेशों/नियमों एवं निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराए।
5– उपरोक्त सर्वेक्षण के उपरान्त क्या कोई पुनः निरीक्षण (रिव्यू) किया गया ? यदि हां, तो समस्त दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराएं।
6– पुनः निरीक्षण (रिव्यू) के सम्बंध में समस्त शासनादेशों/नियमों एवं निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराए।
7– सर्वेक्षण के दौरान किसी अनियमितता का मामला सामने आया है ? यदि हां, तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण दे।
8– उपरोक्त शहर श्रीगंगानगर गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के कितने कार्डधारी है? उनकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराए (1)कार्डधारक का नाम, (2)पिता का नाम, (3)कार्ड संख्या, (4)कार्ड पर सदस्यों की संख्या।

अपीलार्थी श्री कृष्णलाल कुमावत द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना को लोक सूचना अधिकारी द्वारा कांट छांट कर व सूचना को काल्पनिक बताकर उत्तर देना अपेक्षित करार देना तथा सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर बताना सरसरी तौर पर गलत है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु सं0 2 व 3 की जो सूचना उपलब्ध करवाई गई है वह उसके द्वारा मांगी ही नही गई है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझ कर सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है और प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता भी नही बताया गया है। इसलिए सुनवाई कर निशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिये जावे एवं सूचना के अधिकार अधिनियम की उल्लंघना के लिए लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर 123/2016

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 1124 दिनांक 05.08.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 971 दिनांक 4.07.2016 के द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 971 दिनांक 4.07.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

बिन्दु संख्याा	वांछित सूचना	प्रति उत्तर
1.	बीपीएल कॉर्डधारी सदस्यो में से किसी एक सदस्य को अलग बीपीएल कॉर्ड क्यो नही जारी किया जाता है अगर बीपीएल अलग कॉर्ड जारी करने का प्रावधान है तो किस प्रकार दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराए?	जहाँ तक आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री, अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत सलाह नमूने मॉडल संबधी सामग्री शामिल है लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नही है सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।
2.	क्या मेरा जाति प्रमाण पत्र पंजाब से जारी होगा? यदि हॉ तो क्यो ?क्या पंजाब से जारी जाति प्रमाण पत्र राजस्थान की सरकारी नौकरियो में मान्य होगा।	
3.	मैने तहसीलदार पंजाब से सम्पर्क किया तो उन्होने कहॉ कि अब आपका काई ऐविडेन्स यहा नही है तो आपका प्रमाण पत्र यहा से जारी नही हो सकता।	
4.	गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के परिवारों के चयन लिए क्या मापदण्ड/मानक बनाये गये है? इस सबंध में समस्त शासनादेशो, नियमो की प्रतिया उपलब्ध कराये।	
5.	उपरोक्त सर्वेक्षण के उपरान्त क्या कोई पुनः निरीक्षण रिव्यू किया गया ? यदि हॉ तो समस्त दस्तावेजो की प्रतिया उपलब्ध कराये।	
6.	पुनः निरीक्षण रिव्यू के संबध में समस्त शासनादेशो, नियमो एवंम निर्देशो की प्रतिया उपलब्ध कराये?	
7.	सर्वेक्षण के दौरान किसी अनियमितता का मामला सामने आया है? यदि हॉ तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण देवे।	
8.	उपरोक्त शहर श्रीगंगानगर गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के कितने कार्डधारी है? उनकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराये कॉर्ड संख्या, कॉर्ड पर सदस्यों की संख्या	चूंकि खोजकर खोजे गये तथ्यो के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नही आता है।

आप द्वारा चाही गई सूचना अन्वेषण कर ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है इसलिए आपका प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। यदि आप चाही गई सूचनांओ संबंधी किसी उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण करना चाहे तो उसका नियमानुसार कार्यालय समय में उपस्थित होकर अवलोकन कर सकते है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

लोक सूचना अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन में जो बिन्दु सं0 2 व 3 अंकित किये गये है वे अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित बिन्दु नही है और न ही उसके प्रार्थना में अंकित बिन्दु सं0 2 व 3 की सूचना उपलब्ध करवाई गई है और न ही सूचना अधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम अपील अधिकारी की सूचना दी गई है। इसलिए इन दोनो बिन्दुओ पर लोक सूचना अधिकारी को विधिवत रूप से निस्तारण करना चाहिए। अपीलार्थी द्वारा चाही गई शेष बिन्दुओ की सूचना कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुस्मर सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार बिन्दू सं0 2 व 3 की उक्त सूचना को छोडकर शेष दी गई सूचना सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। किन्तु बिन्दु सं0 2 व 3 के बारे लोक सूचना अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओ का अवलोकन कर बिन्दु सं0 2 व 3 के संबंध में विधिवत निर्णय पारित करें।**

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर